235

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. तीन / निगरानी / श्योपुर / भू.रा / 2018 /
निगरानी-3057/2018/श्योपुर/भू.रा.

1. शम्भू पुत्र श्री बद्रीलाल मीणा,
2. रामबाबू पुत्र श्री बद्रीलाल मीणा, निवासीगण – ग्राम विजरपुर, परगना एवं जिला श्योपुर (म0प्र0)

—— आवेदकगण

श्री पी. के. तिवारी एड. द्वारा आज दि० 17-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

17-5-18

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र श्री सौराम, आयु 70 वर्ष, जाति मीणा

——मूल अनावेदक

2. बाला पुत्र श्री माधौ मीणा,
3. शम्भू पुत्र श्री माधौ मीणा, निवासीगण – ग्राम विजरपुर, परगना एवं जिला श्योपुर (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2018 द्वारा पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 0055 / 2016–17 / अ0मा0

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश हैः–

प्रकरण के तथ्यः–

1– यहकि, विवादित ग्राम विजरपुर, परगना एवं जिला श्योपुर के भूमि सर्वे क्रमांक 21 मीन–2, रकवा 21 बीघा 1 विस्वा एवं भूमि सर्वे क्रमांक 51 / 421, सर्वे क्रमांक 131 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.3057/2018/श्योपुर/भू.रा. जिला श्योपुर

शम्भू आदि विरूद्ध बजरंग लाल अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0055/2016-17/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	